FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ––––––अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02–––मुकाम

किशनगढ़

छीतरमल ––––बनाम–––– **लाली देवी वगैरह**

किस्म मुकदमा –––– दीवानी वाद संख्या 42/2021 (23/2023) ––––––

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
30-10-2025	वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 5 ओमप्रकाश का देहांत दिनांक 07.03.2025 को हो गया मृतक ओमप्रकाश के मालीदेवी, मंजू, कालूराम व मुकेश विधिक वारिसान हैं, अन्य कोई वारिस नही है। वादकारण सतत् जारी है। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का मृतक प्रतिवादी संख्या 5 ओमप्रकाश के वारिसान की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया व वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से भी लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित वारिसान के उत्तराधिकारी होने बाबत् प्रमाण पत्र पेश नही होने, प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने, मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश नही करने के आधार पर आपत्ति होना जाहिर किया। उभयपक्षों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र मृतक ओमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया है। समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है जिन्होने प्रार्थना पत्र के संबंध मे कोई आपत्ति नही की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया कि उक्त वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिसान नही हो। उक्त वारिसान ने प्रतिवादी संख्या 5 की	

	मृत्यु नही हुई हो, मृत्यु दिनांक 07.03.2025 को नही हुई हो, ऐसा कोई कथन अपने जवाब मे नही किया है। मृत्यु दिनांक से हस्तगत प्रार्थना पत्र 90 दिवस की विहित अवधि मे दिनांक 24.03.2025 को पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद बाहर नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की उक्त आपत्ति मानी जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार किया जाकर मृतक ओमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिसान जो कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित है, उन्हे प्रतिवादी संख्या 5/1 लगायत 5/4 के रूप मे रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। विधिक वारिसान के संबंध मे संशोधित वाद शीर्षक पेश किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 ओमप्रकाश के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक अंकित किया जावें। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 18.11.2025 को पेश हों।	